सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 3631/2016 प्रार्थना पत्र

कंवरलाल पिता उंकार गायरी, आयु 55 साल, निवासी सरलाई, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1– किशोर पिता गोवरधनलाल गायरी, आयु वयस्क, निवासी सरलाई।
2– गणेश पिता मेघराज गायरी, आयु वयसक, निवासी दारू, तहसील व जिला नीमच, म.प्र.।
3– अमृतराम पिता मेघराज गायरी, आयु वयसक, निवासी दारू, तहसील व जिला नीमच, म.प्र.।
4– गंगा पिता मेघराज गायरी, आयु वयस्क, निवासी दारू, तहसील व जिला नीमच, म.प्र.।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र

अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

श्री इन्दरमल भाम्बी, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित

निर्णय दिनांक– 29.11.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं गोवरधनलाल के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा सरलाई की खाता संख्या 47 की आराजी नं. 201, 203, 204, 335, 337, 364 कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम सरलाई की ही खाता संख्या 6 की आराजी नं. 336 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात होकर प्रार्थी 1/2 हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। गोवरधनलाल का भी इस भूमि में 1/2 हक हिस्सा निहित था लेकिन गोवरधनलाल ने अपने हक हिस्से की आराजीयात में से आराजी नं. 364 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा प्रार्थी की मां डालु बाई पुत्री मांगु के नाम पर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी को विक्रय कर दिया था एवं दिनांक 24.05.2001 को 100 रूपये के स्टाम्प पर इकरारनामा लिख कर दिया था कि उक्त आराजीयात मेरे हक हिस्से में से कम की जाकर आराजीयात का बंटवारा किया जाएगा एवं मेरे हक हिस्से की आराजी आयेगी उसमें से 4 बीघा 5 बिस्वा आराजी कम होकर बंटवारा होगा। विपक्षी संख्या 1 गोवरधनलाल का पुत्र है तथा विपक्षी संख्या 2, 3, 4

नाथी बाई की संतान हैं। विवादित आराजीयात का बंटवारा दोनों भाईयों के मध्य मौखिक रूप से हो गया था। आराजी नं. 364 को गोवरधनलाल ने गोपाल लाल को विक्रय कर दी। गोपाल लाल ने पुनः आराजीयात को मोहनलाल को विक्रय कर दी। किशोर के नाम पर आराजीयात आ जाने के कारण किशोर उक्त इकरारनामें को मानने से इन्कार कर रहा है तथा विवादित भूमि को खुर्द बुर्द हस्तान्तरित करने पर आमदा हैं। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विपक्षीगण का जवाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम सरलाई की खाता संख्या 57, 19 व 55 की प्रमाणित प्रतियां, मिलान खसरा ग्राम सरलाई, एवं इकरारनामा दिनांक 24.05.2001 की छायाप्रति प्रस्तुत की है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उंकार गाडरी के तीन वारिस गोवर्धनलाल, कंवरलाल व नाथी बाई हुए। गोवर्धनलाल की विरासत से 1/3 हिस्सा किशोर व तुलसी बाई के नाम दर्ज हुआ तथा नाथी बाई का 1/3 हिस्सा गणेश, अमृतलाल, गंगा पिता मेघराज के नाम दर्ज हुआ। इकरारनामा दिनांक 24.05.2001 में आराजी नं. 364 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा का विक्रय गोवर्धनलाल द्वारा किया जाना तथा डालु बाई के नाम अपने हिस्से में से कम कराना अंकित किया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित है। हक हकूक का निर्धारण तो वाद पत्र में साक्ष्य व गवाही के उपरान्त ही होगा, तब तक पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद को रोकने की दृष्टि से विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाती है कि विपक्षीगण विवादित भूमि के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 29.11.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा